

| | | |
|---|---|---|
|  <p>सत्यमेव जयते</p> | <p>प्रधान मुख्य आयुक्तालय, जीएसटी एव केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : मुंबई जोन OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST AND CX: MUMBAI ZONE ११५, जीएसटी भवन, एम.के. रोड, चर्चगेट, मुंबई-२० 115, GST BHAWAN M.K.ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI-20. E-mail:dcccunit@rediffmail.com & ccu-cexmum1@nic.in Fax No.022-22014170</p> |  |
|---|---|---|

फा. सं. जीसीसीओ/आरटीआई/APP/817/2021-एडीएमएन-ओ/ओ पीआरसीसी-सीजीएसटी-जोने-मुंबई जोन
मुंबई, दिनांक: ओक्टोबर 2021

प्रति,

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रधान आयुक्त वस्तु एवं सेवाकर,

मुंबई (सेंट्रल), मुंबई (साउथ), मुंबई(वेस्ट), मुंबई(ईस्ट), ठाणे, ठाणे (रुरल), पालगढ़,

नवी मुंबई, राइगाड, बेलापुर, भिवंडी, अप्पील्स I, II, III,

ठाणे अप्पील्स राइगाड अप्पील्स ।

महोदय,

विषय:श्री Dhanashyam Patel द्वारा फ़ाइल किया गया ऑनलाइन आरटीआई आवेदन
दिनांक 07.10.2021 के संदर्भ मे।(CCEM1/R/T/21/0061)

कृपया यहाँ संलग्नित Dhanashyam Patel द्वारा फ़ाइल किया गया ऑनलाइन आरटीआई आवेदन
दिनांक 07.10.2021 (CCEM1/R/T/21/0061) (Received transferred under section 6(3) of the RTI
Act, 2005 from CPIO ,Assistant Director, Directorate General of Performance Management
vide their letter F.No.DGPM/RTI/APP/79/2021-RTI-O/o DG-DGPM-HQ-Delhi dated
25.10.2021 का संदर्भ ले।

आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी (in respect of point no 6,7,10 and 11) इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा आपके पास उपलब्ध होने की संभावना है। अतएव, इस कार्यालय को सूचित करते हुए आवश्यक कार्यवाही एव आवेदक को सीधे जानकारी देने हेतु, उपरोक्त आरटीआई आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम के धारा 6(3) के तहत आपके कार्यालय को हस्तांतरित किया जा रहा है ।

आपका आभारी

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

(ए मोहनन)

सहायक आयुक्त (सी पी ई ओ)
सीसीओ, वस्तु एवं सेवाकर , मुंबई क्षेत्र
ईमेल आईडी: ccu-cexmum1@nic.in

प्रति प्रेषित:-1. Shri Dhanashyam Patel,322,Zeet Buisness spaces, M G Road, Ghatkopar East, Mumbai, Pin 400077 .

2) CPIO, Assistant Director, Directorate General of Performance Management, Customs, Central Goods and Service Tax, Drum Shape Building, I P Estate, New Delhi

3) अधीक्षक ,कम्प्युटर सेक्शन, वस्तु एवं सेवाकर, मुंबई सेंट्रल , डीओपीटी, ओएम नंबर 1/6/2011-आईआर दिनांक 15/04/2013 के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के ल

